पत्र संख्या–02/स्था0–17–26/2008/ ..../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित x

द्वारा:– x वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15 दि0–

विषय:– राज्य आपदा रिस्पांस बल में संविदा पर कार्यरत सभी कार्मिकों का वार्षिक अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर 40 दिन, मानदेय में 3000/–की वृद्धि तथा वर्दी भत्ता की दर पुलिस के समकक्ष करने की स्वीकृति।

महाशय,

राज्य आपदा रिस्पांस बल का गठन आपदा के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के त्वरित सम्पादन के उद्देश्य से किया गया है। राज्य आपदा रिस्पांस बल में स्वीकृत पदों के विरूद्ध भारतीय सेना/नौसेना के सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त कतिपय अधिकारियों एवं जवानों की भी नियुक्ति यथानुसार संविदा के आधार पर की गई है। इसी प्रकार होमगार्ड के विशेष बटालियन से भी जवानों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गयी है परंतु इनके नियमित वेतनमान में कार्यरत न रहने के कारण इन्हें भी संविदा पर नियुक्त जवानों के समतुल्य ही सुविधाएं अनुमान्य की गयी है। राज्य आपदा रिस्पांस बल में विभिन्न श्रेणी के संविदा पर नियुक्त कर्मियों को निम्न सुविधाएँ अनुमान्य की गई थी :–

(i) कांस्टेबल को एकमुश्त ₹ 12,000/–रू0 प्रतिमाह अनुबंध राशि
(ii) हेडकांस्टेबल को एकमुश्त ₹ 15000/–रू0 प्रतिमाह अनुबंध राशि
(iii)सब इंस्पेक्टर/इंस्पेक्टर को एकमुश्त ₹ 25000/–रू0 प्रतिमाह अनुबंध राशि
(iv) वर्दी एवं जूता आदि के लिए ₹ 2700/–
(v) वर्ष में केवल 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश।

2. वर्तमान समय में मुल्यवृद्धि के कारण मानदेय में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप (स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस) कर्मियों के मानदेय में वृद्धि संबंधी गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापांक–648, दिनांक–27.01.2014 के आलोक में राज्य आपदा रिस्पॉस बल में संविदा पर कार्यरत जवानों का :–

(क) वार्षिक अवकाश की अनुमान्यता 20 (बीस) से बढ़ाकर 40 (चालीस) दिन,

(ख) सभी स्तरों के कर्मियों को मासिक मानदेय में ₹ 3000/–(तीन हजार) रू0 की वृद्धि एवं

(ग) सभी कर्मियों के वर्दी एवं जूता की दर, पुलिस एवं समकक्ष स्तर के वर्दी भत्ता के समान करने की स्वीकृति दी जाती है।

D:\2016\sanjav sinha\sanlekh 27-8-16. 2docx.docx

3 उपर्युक्त निर्णय के अनुसार SDRF में अनुबंध पर बहाल सभी श्रेणियों के वर्तमान में कार्यरत 143 कर्मियों के वेतन एवं वर्दी भत्ता मद में अनुमानित ₹ 53,33,900/– (तिरपन लाख तैतीस हजार नौ सौ) रूपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार होगा। (व्यय विवरणी संलग्न)

4. प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/स्था0–17–26/2008/............../आ0प्र0, पटना–15 दि0–

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/स्था0–17–26/2008/3413/आ0प्र0, पटना–15 दि0– 9/9/16

प्रतिलिपि– आईटी मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/9/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुमानित व्यय विवरणी

क्र0सं0	पद का नाम	कार्यरत कर्मी	प्रतिमाह मानदेय (रू0)	वृद्धि (रू0)	जूता एवं वर्दी भत्ता में वृद्धि (रू0)	वार्षिक वृद्धि (रू0)
1	इंस्पेक्टर	13	25000	3000	1300	484900
2	एस0आई0	37	25000	3000	1300	1380100
3	एस0आई0कॉम0	1	25000	3000	1300	37300
4	एस0आई0 स्टेनो	2	25000	3000	1300	74600
5	एच0सी0 मिनिस्ट्रियल	1	15000	3000	1300	37300
6	एच0सी0 जी0डी0	30	15000	3000	1300	1119000
7	एच0सी0 पी0एम0	12	15000	3000	1300	447600
8	एच0सी0 टेक0	7	15000	3000	1300	261100
9	एच0सी0 इलेक्ट्रिक	3	15000	3000	1300	111900
10	एच0सी0 ड्राइवर	15	15000	3000	1300	559500
11	कांस्टेबुल (5+17)*	22	12000	3000	1300	820600
	कुल योग	143	202000	33000	14300	5333900

*सेना से सेवानिवृत्त 5 तथा स्पेशल बटालियन होमगार्ड से 17 कर्मी

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग